

काद संख्या - 55/2017

निर्णय दिनांक - 21.5.2019

बिमला देवी पत्नी रामफल जाति जाट निवासी लसेडी तहसील राजगढ़ जिला इ.क.
वादीनी

बनाम

1. राजजीत] पुत्रगण श्रीवां जाति जाट निवासी लसेडी तहसील राजगढ़ जिला इ.क.
2. जयलाल]
3. सुरोज पत्नी बलवान] जाति जाट निवासी लसेडी तहसील राजगढ़ जिला इ.क.
4. सोमवीर पुत्र बलवान]
5. मंजु पुत्री बलवान पत्नी विजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी लसेडी हाल निवासी
मिठडी बलवन्त सिंह तहसील राजगढ़ जिला इ.क.
6. वीरसिंह]
7. जयवीर] पुत्रगण हीरानन्द जाति जाट निवासी लसेडी तहसील राजगढ़ जिला इ.क.
8. राजवीर] इ.क.
9. दलवीर]
10. बी. आर. जी. बी. बेंक शाखा गोठ्या बडी तहसील राजगढ़ जिला इ.क. जरिफ शाख
प्रबन्धक
11. तहसीलदार राजगढ़ जिला इ.क.

- प्रतिवादीगण



दावा खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 R.T. Act.

उपस्थित :-

1. श्री चन्द्रभान कृष्णिया अधिकार्या वास्ते वादी
2. " मेवासिंह अधिकार्या वास्ते प्रतिवादी सं. 1, 4, 6, 8
3. स्थकपत्नीय कर्षबाधी - प्रतिवादी सं. 5, 7, 9, 10
4. वैरोवारराज वास्ते प्रतिवादी सं. 11.

निर्णय

इस न्यायालय के प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार राजगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति पेशा नहीं की गई। विभाजन प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किन्हीं जानें में आधिक्यता पक्षकारान द्वारा सहमति जाहिर की। कुलविक विभाजन प्रस्ताव चाद वादीनी स्वीकार कर विभन्न प्रकार से पक्षकारान का खाता विभाजन किया जाता है।

(1) बिमलादेवी पत्नी रामफल जाति जाट निवासी लसेडी खोतेदार के हक हिस्सा में खाना 601/288 मी रकबा 1.49 हे० बा-च. लगान 1.49 बाके रोही ग्राम लसेडी तहसील राजगढ़ जिला अरु नक्शा विभाजन प्रस्ताव में बरंग लाल से दर्शा अनुसार रहेगी।


(2) जयलाल शण्डीत पि० भीवां व हि० ब० 8/14 हि० राहिन B R K 17 B जोध्या बड़ी जयवीर दलवीर राजवीर वीरसिंह पुत्रगण हीरानन्द ब-हि० ब० 12/35 हि० राहिन बी० आर के.जी० बी० जोध्या बड़ी सोरोज पत्नी बलवान सोमवीर मन्जु पुत्र-छ० बलवान ब-हि० ब० 3/35 हि० राहिन बी० आर के.जी० बी० जोध्या बड़ी सा० देह खोतेदार के हक हिस्सा में खाना 601/288 मी रकबा 10.4366 हे० बा-च. लगान 10.44 रोही ग्राम लसेडी तहसील राजगढ़ जिला अरु नक्शा विभाजन प्रस्ताव में बरंग सफेद से दर्शा अनुसार रहेगी।

जिन पक्षकारान का हिस्सा बैंक के रहने हैं वह यथावत रहन रहेगा

देय मुद्रांक शुल्क अदा करने पर पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.5.19 को मेरे द्वारा लिखाया जा कर सेव

इजलास सुनाया गया।


 उपखण्ड अधिकारी
 राजगढ़ (झर)

